

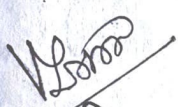
कार्य का नाम:-

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

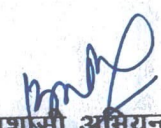
कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

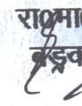

सहायक अभियन्ता

रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०

 बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता

रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०

 बड़कोट (उत्तरकाशी)